हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

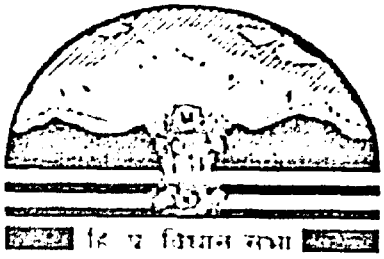

लोक उपक्रम समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2021-22)

50वाँ मूल प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 5.4 की समीक्षा पर आधारित।

(दिनांक 07 मार्च, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-8

समिति का गठन

सभापति:

कर्नल इन्द्र सिंह

सदस्य:

2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
4. श्री बलवीर सिंह वर्मा
5. श्री पवन कुमार काजल
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री पवन नैय्यर
8. श्री राजेश ठाकुर
9. श्री सत्तपाल सिंह रायजादा
10. श्री विक्रमादित्य सिंह
11. श्री विशाल नैहरिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. **श्री यशपाल शर्मा** : सचिव
2. **श्रीमती रीता देवी** : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी।

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक उपक्रम समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का **50वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 5.4 की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2021-22) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को किया गया।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(वर्ष 2017-18)(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या 5.4 के सन्दर्भ में स्वयंमेव(Suo-Moto) उत्तर अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 27.07.2021 को उपलब्ध करवाये गये। समिति ने दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में स्वयंमेव उत्तरों का अवलोकन किया तथा दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग) का प्राप्त विभागीय उत्तरों पर मौखिक परीक्षण किया। इन पैरों के लिखित उत्तरों एवं मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय सचिव द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी तथा उन पर समिति द्वारा की गई टिप्पणी/सुझावों/सिफारिशों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 03 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश व महालेखाकार कार्यालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मौखिक साक्ष्य के दौरान दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को समिति की सम्पन्न हुई बैठक में अपना सहयोग दिया।

समिति सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

दिनांक: 03 मार्च, 2022
शिमला-171004.

(कर्नल इन्द्र सिंह),
सभापति,
लोक उपक्रम समिति।

अध्याय-I
प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या: 5.4 की समीक्षा पर आधारित है, के संदर्भ में विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 27.07.2021 को स्वयंमेव उत्तर समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाए।

समिति ने दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में स्वयंमेव उत्तरों का अवलोकन किया तथा लिखित उत्तरों पर दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग) का मौखिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। यह प्रतिवेदन विभागीय लिखित उत्तरों एवं मौखिक साक्ष्य के दौरान उपलब्ध करवाई अतिरिक्त जानकारी पर आधारित है। जो इस प्रकार से है:-

ऑडिट पैरा संख्या:5.4 संभाव्य राजस्व की हानि:-

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम (कम्पनी) ने अपने बिलासपुर परिसर में राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी मदें आपूरित करने हेतु उत्पादन का कार्य लिया। राज्य सरकार ने 2002 में अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी की आपूर्ति बंद कर दी, तत्पश्चात् इसके उत्पादों की कोई मांग नहीं की गई जिसके फलस्वरूप इस इकाई का संचालन अलाभकारी हो गया। एक हॉल सहित (5,187.06 वर्ग फीट) एवं 300-500 वर्ग फुट के बने चार कमरे सहित परिसर में कुल 2900 वर्गमीटर क्षेत्र शामिल है। क्योंकि कोई उत्पादन गतिविधि नहीं थी इसलिए हॉल के 5,187.06 वर्गफुट क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को (अप्रैल 2007) रू 19,544 प्रति मास किराए पर दिया गया, परन्तु उन्होंने (मई) 2009 के दौरान इसे खाली कर दिया।

परिसर को पुनः किराए पर देने के लिए कम्पनी ने समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की (4 नवम्बर, 2011) और यह निविदाएं 23 नवम्बर, 2011 को पार्टियों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति द्वारा खोली गई। समिति ने तीन प्रतिभागियों के बोलीदाता का मूल्यांकन करने के पश्चात् उच्चतम बोली लगाने वाले को तीन साल की अवधि के लिए रू 25,000/- मासिक किराये पर 3 साल बाद और आगे के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ देने की सिफारिश की । तथापि, प्रबन्धन ने समिति की सिफारिश को इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया (अप्रैल 2012) कि किराए पर लेने के लिए उपलब्ध क्षेत्र की तुलना में रू

25,000 कम प्रतीत होते हैं और नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने के आदेश दिए। तत्पश्चात् कम्पनी नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने में विफल रही और अभिलेखों पर निष्क्रियता को उचित ठहराने के कोई कारण नहीं दिए गए। इस प्रकार, परिसर को प्रतिमास रू 25,000/- की दर से व तीन वर्ष के बाद 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराए पर देने की समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण कम्पनी अप्रैल 2012 से सितम्बर 2019 तक रूपये 24.30 लाख के संभाव्य राजस्व को अर्जित करने से वंचित रही। आगे यह हानि और बढ़ेगी जब तक कि कम्पनी परिसर को किराए पर नहीं देती क्योंकि परिसर के खाली/बिना उपयोग रहने के कारण इसके खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (मई, 2018) कि नवम्बर, 2017 के दौरान परिसर मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड को किराए पर दिया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने परिसर को किराए पर लेने से पहले ही हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड को बंद करने का निर्णय (जनवरी, 2018) ले लिया था।

प्रबन्धन को चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने तथा भविष्य में अपने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विचार करना चाहिए।

विभागीय उत्तर:-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने प्लॉट नं. 15 व 16 बिलासपुर पर भवन का निर्माण सन् 1977 मे किया था और इस भवन को वर्ष 2002 तक लिवरी की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके बाद मांग कम होने के कारण इन वस्तुओं के उत्पादन को बंद कर दिया गया। यह परिसर अप्रैल, 2007 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मासिक किराये के आधार पर दिया गया था।

2. भवन की कमजोर स्थिति होने और इसके जीर्णोद्धार के लिए निगम के पास अतिरिक्त फंड के अभाव के कारण तथा नवंबर 2011 में समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के बावजूद भी कोई सरकारी विभाग तथा निजी पक्षकार इस परिसर को किराये पर लेने के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद एक निजी पक्षकार द्वारा शराब के भंडारण के लिए परिसर का उपयोग करने का एक प्रस्ताव दिया गया था, जोकि इस सरकारी निगम के अधिदेश के अनुरूप नहीं होने के कारण निगम के निदेशक मंडल की बैठक, जो कि 23.01.2012 को हुई थी में अस्वीकार कर दिया गया था।

3. इस प्रकार निम्नलिखित कारणों से इस परिसर को किराये पर उपयोग करने के लिए नहीं दिया जा सका:

क) भवन की कमजोर स्थिति ।

ख) इस भवन के नवीनीकरण के लिए निगम की अक्षमता ।

ग) ऐसे परिसर के लिए बिलासपुर क्षेत्र के बाजार में कम मांग।

घ) उद्योग विभाग द्वारा अपने नियमों में इंडस्ट्रियल एरिया में निर्मित अतिरिक्त क्षेत्र को किसी और उपयोग के लिए किराये पर देने संबंधी किए गए प्रावधान।

इस सम्बन्ध में आगे यह प्रस्तुत है कि वर्ष 2016 के दौरान मैसर्स क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड से इस भवन को किराये पर लेने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और तदानुसार 31.12.2016 को आयोजित निदेशक मंडल की 174 वीं बैठक में यह मामला निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था, लेकिन निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जिसकी प्रतिलिपि समिति को उपलब्ध करवाई गई थी जिसका समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया। अक्तूबर और नवंबर, 2017 में मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड और मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल बिलासपुर ने किराये के आधार पर इस रिक्त स्थान को लेने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तदनुसार, निगम ने 13.11.2017 को इस अतिरिक्त क्षेत्र को किराए पर देने संबंधी मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार, को अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। राज्य सरकार से 15.11.2017 को सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निगम ने मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड और मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच नम्होल बिलासपुर को ये भवन किराए पर दे दिया। प्रतिलिपि समिति को उपलब्ध करवाई गई थी जिसका समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया। मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच नम्होल बिलासपुर से लीज का किराया रु 7,000 प्रति माह प्लस जीएसटी तथा मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड का किराया 17 रुपये प्रति स्क्वायर फ़ीट प्लस जीएसटी प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसके बाद मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा इस परिसर का नवीनीकरण किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने जनवरी, 2018 में मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड की गतिविधियों को बंद कर दिया । मार्च 2018, के दौरान हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग ने प्लॉट नं. 14 (खाली क्षेत्र) के आवंटन को रद्द कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस वर्किंग हॉल तक वाहन द्वारा पहुंचने का रास्ता केवल प्लॉट न. 14 से होने के कारण किसी भी निजी पक्षकार ने इस हॉल को किराये पर लेने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई । इस भवन के उपयोग के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है और इस मामले को 31 दिसंबर, 2019 को निदेशक मंडल की 184 वीं बैठक के समक्ष रखा गया था जिसमें निदेशक मंडल (बीओडी) ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

निगम के प्रबंध निदेशक इस भवन के उपयोग की व्यवहार्यता और वहां निर्मित संरचना के मूल्य और इस भवन के नीचे की भूमि के मूल्य का निर्धारण करने के लिए निगम के

महाप्रबंधक, महाप्रबंधक डीआईसी बिलासपुर और सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से मिलकर एक समिति का गठन करेंगे। निदेशक मंडल के निर्णय की अनुपालना करने हेतु निगम के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 07.03.2020 को निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया और 10 अप्रैल, 2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

1. महाप्रबंधक, हथकरघा एवम् हस्तशिल्प निगम ।
2. महाप्रबंधक, डीआईसी बिलासपुर।
3. सहायक अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बिलासपुर।

कोरोना महामारी और लॉकडॉउन के कारण उपरोक्त समिति की बैठक 12 जून, 2020 को आयोजित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसे बीओडी की आगामी बैठक में निदेशक मंडल के विचारार्थ रखा जाएगा।

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2019 के दौरान 81 मास से परिसर को किराए पर देने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 24.30 लाख रुपये के संभाव्य राजस्व की हानि हुई। यह हानि तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कम्पनी परिसर को किराए पर नहीं दे देती। इस संदर्भ में समिति जानना चाहती है कि :-

1. लेखा परीक्षा पैरा के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने मई, 2009 के दौरान भवन खाली कर दिया था लेकिन निगम के उत्तर के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान खाली किया गया था। इस विसंगति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।
2. यदि भवन कमजोर था तो किराए के लिए निविदाएं आमंत्रण के कारण से समिति को अवगत कराएं।
3. यदि भवन कमजोर था तो भवन के नवीनीकरण के लिए उठाए गए कदम से भी समिति को अवगत करवाएं।
4. वर्ष 2012 में उच्चतम बोली लगाने वाले को परिसर को पट्टे पर देने में विफल रहने के बाद भी बी.ओ.डी. की 174वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निगम किराए का आकलन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करा सकती थी और फिर इसे मैसर्स क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव के अनुरूप 2016 में पट्टे पर दे सकती थी। निगम द्वारा ऐसा न किए जाने का कारण स्पष्ट करें।

5. समिति जानना चाहती है कि निगम द्वारा मैसर्स हिमाचल प्रदेश विवरेज निगम लिमिटेड को परिसर किराए पर देने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 में उनकी गतिविधियों को क्यों बंद कर दिया गया। समिति को यह भी अवगत करवाया जाए कि मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल, बिलासपुर को क्या यह भवन अभी भी किराए पर दिया गया है? वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए।
6. जून, 2020 के बाद हुई बी.ओ.डी. की बैठकों में उपरोक्त मामलों पर लिए गए निर्णयों से भी समिति को अवगत करवाया जाए।

प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का एक प्लॉट है जिसमें एक शैड भी बना हुआ है। पहले उसमें livery articles का उत्पादन किया जाता था लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने उन्हें लेना बंद कर दिया और वह प्लांट बंद हो गया। उसके बाद उस शैड को निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को किराए पर दे दिया गया जिससे निगम को आय प्राप्त होने लगी। कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने भी उस शैड को खाली कर दिया और उसके बाद वह शैड किराए पर नहीं दिया जा सका। किराए पर न देने के कारण निगम को किराए से होने वाली आय का लॉस हुआ है और इसी कारण यह ऑडिट पैरा बना है। निगम द्वारा इस शैड को किराए पर देने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं लेकिन कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। एक बार इस शैड के कुछ पार्ट को मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच को किराए पर दिया गया था और कुछ पार्ट सरकार द्वारा बनाई गई कम्पनी मैसर्स हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड को किराए पर दिया गया था। लेकिन वर्ष 2018 में सरकार ने अपनी कम्पनी को समाप्त कर दिया जिस कारण उनके साथ किराए का मामला भी वहीं पर समाप्त हो गया था। बीच में हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग ने अपना प्लॉट कैंसिल कर दिया और सारा सामान कॉरपोरेशन के प्लॉट में redeem कर लिया। अभी विभाग यह कोशिश कर रहा है कि यह प्लॉट निगम के पास रेस्टोर हो जाए ताकि विभाग अपनी गतिविधियों को पुन: आरम्भ कर सकें। जिला कांगड़ा में निगम का एक Industrial Extension Center (Toys), Palampur है और वह किराए के भवन में चला हुआ है तथा निगम उसे बिलासपुर में शिफ्ट करना चाहता है। जैसे ही बिलासपुर का प्लॉट रेस्टोर हो जाएगा वैसे ही इसे बिलासपुर में शिफ्ट करके निगम अपनी गतिविधियां शुरू कर देगा।

समिति को यह भी अवगत करवाया गया कि यह भवन हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2011 में ही खाली किया गया था। उसके बाद इस भवन को मैसर्स क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को लीज़ पर देने के लिए कार्रवाई की गई लेकिन बोर्ड

ने कहा कि यह सरकार का leased out plot है इसलिए इसे further lease out नहीं किया जा सकता। क्योंकि नियमानुसार ऐसा करने से वापिस सरकार में property investment हो जाएगा। उसके बाद Board of Directors ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस पर एम.डी. फैसला करेंगे। उसके बाद एम.डी. ने कहा कि इसे किराए पर दे सकते हैं और इसे किराए पर देने के लिए आगामी कार्रवाई भी की गई लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ पाई। इस प्लॉट को शीघ्र रेस्टोर करवाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर शीघ्र कार्य आरम्भ करना चाहते हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को यह भी अवगत करवाया कि एक बार इस शैड का कुछ पार्ट मैसर्स कामधेनु हितकारी मंच को भी किराए पर दिया गया था लेकिन उन्होंने उसका कब्ज़ा नहीं लिया। विभाग ने उन्हें अप्रूवल भी दे दी थी और उन्होंने तीन माह का किराया भी दे दिया था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर कब्ज़ा नहीं लिया।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि क्या हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस शैड का पूरा किराया दे दिया है? प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्ष 2007 में यह शैड किराए पर दिया गया था और उन्होंने दो वर्ष (2007 से 2009) का किराया दे दिया था। लेकिन उन्होंने इस शैड को वर्ष 2011 में खाली किया था जिस कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 का किराया नहीं आया है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि दो वर्ष का कितना किराया बनता है? प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक दो वर्ष का 4,69,056/- रुपये किराया दिया था और अगले दो वर्ष का भी लगभग इतना ही किराया बनता है। अभी विभाग इस भवन को ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए उपयोग कर रहा हैं। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2018 से अभी तक कुल 60 लोगों को विभाग द्वारा इस भवन में ट्रेनिंग दी गई है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि क्या यह भवन सुरक्षित है? प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि यह भवन बिलकुल सुरक्षित है।

समिति ने विभागीय सचिव से यह भी जानना चाहा कि आपने जो रिप्लाई दिया है उसमें लिखा है कि भवन की कमजोर स्थिति के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और अभी आप कह रहे हैं कि उसका उपयोग किया जा रहा है। प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि यह शैड वर्ष 1981-82 में बनाया गया था। उसके बाद समय-

समय पर इसकी रिपेयर की जाती रही है। रिपेयर करने के बाद इसका उपयोग किया जाता रहा है।

समिति ने विभागीय सचिव के ध्यान में लाया कि रिप्लाई में आप यह भी लिख रहे हैं कि आपके पास रिपेयर के लिए पैसा नहीं है। इसके अलावा आप यह भी लिख रहे हैं कि बिलासपुर क्षेत्र में ऐसे परिसर की मांग ही नहीं है। यदि मांग नहीं है तो आपने इसे क्यों बनाया है? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि पहले वहां पर livery articles का उत्पादन किया जाता था उसके बाद सरकार ने उन्हें परचेज़ करना बंद कर दिया था जिस कारण वहां पर उत्पादन बंद करना पड़ा।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि सरकार की पॉलिसी थी कि खादी यूनिट को प्राइस में भी प्राथमिकता मिलेगी। यदि उनके सामान की कीमत ज्यादा भी पड़ रही है तो सरकारी क्षेत्र में जो भी सामान, जैसे कम्बल, डैस्क, टाटपट्टी इत्यादि, खरीदे जाने हैं और यदि वह सामान नॉन-खादी यूनिट सस्ते में भी दे रहा है तो वह अधिक कीमत होने पर भी खादी यूनिट से ही खरीदा जाएगा। सरकार का मकसद है कि खादी यूनिट्स व खादी के सामान को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि जिस पॉलिसी की समिति द्वारा बात की जा रही हैं उसे अब सरकार ने हटा दिया है।

समिति ने विभागीय सचिव के ध्यान में लाया कि ऐसा नहीं है क्योंकि वहीं पर एक अन्य यूनिट भी काम कर रही है जिसने इसी काम से विस्तार करते हुए 3-4 यूनिट्स और खोल दी हैं। वह अपने यूनिट में आई.टी.आई. के बच्चों से कार्य करवाते हैं और सरकार से पैसा लेते हैं कि हमने इतने बच्चों को ट्रेन्ड कर दिया है। अनेक लोगों द्वारा इस प्रकार की चीजों को किया जा रहा है। इसी प्रकार आपकी चम्बा चप्पल भी नहीं चल रही है क्योंकि आपके जो डिज़ाइन मार्केट में हैं वे बहुत आऊटडेटिड हो चुके हैं, you are not competing with others. सरकारी क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए। आपने पालमपुर में सड़क किनारे एक यूनिट खोला था वह भी फेल हो गया।

समिति ने विभागीय सचिव के ध्यान में यह भी लाया कि जब भी हम किसी सरकारी विभाग से पूछते हैं कि give your layout. तो सबसे पहले वे कहते हैं कि हमारे पास इतने हज़ार मैनपावर है और जब हम पूछते हैं कि what is your output, their output is comparatively much less. प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि समिति का मत बिलकुल सही है। सरकारी क्षेत्र को प्रोडक्शन सैक्टर में नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं।

समिति ने विभागीय सचिव के ध्यान में यह भी लाया कि कि पालमपुर के प्लांट को बिलासपुर में शिफ्ट करना है तो is there any plan for it? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि पालमपुर में स्पेस कम है और हम उसके लिए ज्यादा किराया नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम उस प्लांट को प्रोपर स्पेस के साथ बिलासपुर में शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वहां पर प्रोडक्शन शुरू कर सकें। पालमपुर वाले प्लांट की चीज़ें भी बाजार में अच्छी बिकती हैं।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि इस प्लांट का भविष्य क्या होगा, इस बारे में तो आज ही सोचना चाहिए। आने वाले समय में आप फिर से कहेंगे कि इस प्लांट को भी बंद करना पड़ रहा है। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट आ सके और अंधेरे में पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि सरकारी क्षेत्र में ज्यादा इनोवेशन नहीं हो पाती है। सरकारी क्षेत्र में मैन पावर हायरिंग, हाई एज्यूकेटिड लोगों को हायर करने में और इसके अलावा भी अनेक कारण रहते हैं जिस कारण सरकारी क्षेत्र में ज्यादा इनोवेशन नहीं कर पाते। विभाग बिलसापुर के प्लांट को रि-स्टोर करवाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही यह रेस्टोर हो जाएगा विभाग वहां पर कार्य शुरू करने का पूरा प्लान तैयार कर देंगे। माननीय समिति से आग्रह है कि यदि समिति संतुष्ट है तो इस पैरा को समाप्त कर दिया जाए।

समिति ने विभागीय सचिव को अवगत करवाया कि समिति विभागीय उत्तर से संतुष्ट हुई और इस पैरा को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

समिति ने विभागीय सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्य से सन्तुष्ट होते हुए इस पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा समाप्त

*****